

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./अ.पे.यो./बी/ / 2011/ 59

भोपाल, दिनांक 19.7.13

प्रति,

1. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी  
मध्यप्रदेश

विषय : अध्यापक संवर्ग हेतु लागू की गयी अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत प्रान फार्म के संबंध में।

संदर्भ : (1) पत्र क्रमांक /शि.क./अ.पे.यो./बी/2011/1013 दिनांक 02/11/11, 330 दिनांक 10/06/11 ।

(2) पत्र क्रमांक /शि.क./अ.पे.यो./बी/2011/01 दिनांक 08/11/11, 330 दिनांक 10/06/11 ।

- 1 अध्यापक संवर्ग हेतु लागू की गयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में समय-समय पर संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किये गये है ताकि योजना का क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जा सके। अध्यापक संवर्ग के प्रान आवंटन हेतु एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर भरे हुए फार्म प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है। जिसके माध्यम से संबंधित अध्यापक अपने यूनिक कोड प्रविष्ट कर भरे हुए प्रान फार्म प्रिंट कर सकता है। अनेक बार अभ्यार्थी द्वारा एक से अधिक फार्म भरकर भेज दिये जाते है जिससे डुप्लीकेट प्रान आवंटन हो जाते है। डुप्लीकेट प्रान आवंटन संबंधी जानकारी संबंधित अध्यापक डी.डी.ओ. के माध्यम से तत्काल संचालनालय में उपलब्ध कराएंगे।
- 2 प्रान आवंटन संबंधी फार्म S-1 में आधी अधूरी जानकारी देने करने से फार्म अस्वीकृत (reject) होने की संभावना होती है। संबंधित अध्यापक समस्त जानकारी अनिवार्य रूप से फार्म में प्रविष्ट करें।
- 3 अध्यापक अक्सर फोटो को निर्दिष्ट स्थान के बाहर चस्पा कर देते है। फोटो यथा स्थान पर ही चस्पा करें, बाक्स से बाहर फोटो चस्पा नही करें।
- 4 अध्यापक फोटो के ठीक नीचे के बाक्स में अपने हस्ताक्षर के साथ अंगूठा भी लगा देते है। जिससे फार्म प्रविष्टि के समय हस्ताक्षर स्केन नही हो पाते है। इसलिये एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर फार्म स्वतः रिजेक्ट हो जाते है। **संबंधित अपने हस्ताक्षर फोटो के नीचे हस्ताक्षर बाक्स में ही करें; बाक्स से बाहर नही एवं अंगूठा नही लगाएं। हस्ताक्षर काली स्याही से ही करें। बाक्स से बाहर हस्ताक्षर करने पर फार्म भी अस्वीकृत हो सकता है।**
- 5 **सरल क्रमांक 5 में महिलाएं एवं पुरुष अध्यापक अपने पिता के नाम की ही प्रविष्टि करें। विवाहित महिलाएं भी उनके पिता के नाम की ही प्रविष्टि करें। पति के नाम की प्रविष्टि नही करें।**
- 6 यह देखने में आया है कि अनेक अध्यापक कोषालय अधिकारी के माध्यम से प्रान तैयार करवा लेते है। इसलिये उनके प्रान की जानकारी एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर संचालनालय के रिकार्ड में प्रदर्शित नही होती है। प्रान संचालनालय के माध्यम से ही प्राप्त किये जाए। संचालनालय का DTA एवं **DTO कोड 4011453** है। एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर पंजीकृत सभी डी.डी.ओ. के कोड एजुकेशन पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर जिलेवार डी.डी.ओ. की जानकारी के साथ उपलब्ध है।

7 संबंधित अपने बैंक खाते संबंधी संपूर्ण जानकारी सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। बैंक खाता क्रमांक, बैंक के नाम के साथ बैंक की शाखा का एम.आई.सी.आर. नंबर भी प्रविष्ट करें।


8 संबंधित अध्यापक अनेकों बार अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण फार्म भरकर भेज देते हैं। जिससे उनके फार्म एन.एस.डी.एल. द्वारा निरस्त कर दिये जाते हैं। फार्म में समस्त जानकारी आवश्यक रूप से प्रविष्ट करें। फार्म में **सेक्शन बी 3. - PPAN** में संबंधित का यूनिक आईडी, बी 8. - **DDO Registration** में एन.एस.डी.एल. में डी.डी.ओ. रजिस्ट्रेशन कोड एवं बी 9. - में **DTO** कोड 4011453 प्रविष्ट करें। प्रान फार्म में किसी प्रकार की कांटा-छांटी नही करें। सभी प्रविष्टियां सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिये। एन.एस.डी.एल. पर रजिस्टर्ड समस्त डी.डी.ओ. कोड की सूची [www.sednmp.nic.in/circular](http://www.sednmp.nic.in/circular) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9 प्रान कार्ड में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संबंधित अध्यापक को एन.एस.डी.एल. द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात ही प्रान कार्ड में किसी प्रकार का वांछित संशोधन किया जा सकेगा।

10 एन.एस.डी.एल. द्वारा अवगत कराया गया है कि साफ्टकापी के आधार पर तैयार किये गये लगभग- 19,188 अध्यापकों के प्रान क्रमांक आई.आर.ए. दावा (Individual Retirement Account Complaint) नही है। इनकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी उक्त सभी अध्यापकों के प्रान फार्म डाउनलोड कर प्रति हस्ताक्षरित कर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी प्रविष्टि एन.एस.डी.एल. पर की जा सके।

11 प्रत्येक माह में एन.एस.डी.एल. को संबंधित के एवं शासन के अंशदान का अंतरण पोर्टल से आगामी माह में रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात किया जाता है। अतएव सभी डी.डी.ओ. यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र की प्रत्येक संस्थाओं के सभी वेतन देयक पोर्टल पर यथा समय तैयार कर लॉक किये जाएं एवं लॉक करने के पश्चात पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टियां जैसे बी.टी.आर. नंबर, चेक नंबर इत्यादि प्रविष्ट करें। एजुकेशन पोर्टल से वेतन देयक तैयार करते समय संबंधित की वार्षिक वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, डी.ए. संबंधी प्रविष्टियां भी तत्काल ही एजुकेशन पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।


उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

  
(एस.के. पॉल) 16/7  
आयुक्त  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./अ.पे.यो./बी/ / 2011/56  
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 19/07/13

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2 आयुक्त, आदिवास विकास विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
- 3 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
- 4 राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, विद्याचल भवन, भोपाल।
- 5 समस्त संकुल प्राचार्य / आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश